संयुक्त संसदीय समिति

प्रसंग

हाल ही में, अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर के आरोपों की एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच की मांग करने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है।

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के बारे में

- जेपीसी एक तदर्थ निकाय है।
- जेपीसी की स्थापना संसद द्वारा एक विशेष उद्देश्य जैसे किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच के लिए के लिए की जाती है, ।
- इसमें दोनों सदनों और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं।
- इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसका कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है।

जेपीसी की स्थापना

- संसद के एक सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने और दूसरे सदन द्वारा इस पर सहमति जताए जाने के बाद एक जेपीसी की स्थापना की जाती है।
- जेपीसी के सदस्य संसद द्वारा तय किए जाते हैं।
- सदस्यों की संख्या भिन्न हो सकती है - कोई निश्चित संख्या नहीं है।

शक्तियां और कार्य

- जेपीसी का अधिदेश इसके गठन के प्रस्ताव पर निर्भर करता है।
- अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, जेपीसी दस्तावेजों की जांच कर सकती है और लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है।
- इसके बाद यह एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सरकार को सिफारिशें करता है।
- 0 जेपीसी की सिफारिशों का प्रेरक मूल्य है, वे सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। जेपीसी की अनुशंसा के आधार पर सरकार आगे की जांच शुरू करने का विकल्प चुन सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- 0 एक जेपीसी मामले के संबंध में मौखिक या लिखित रूप में साक्ष्य एकत्र करने या दस्तावेजों की मांग करने के लिए अधिकृत है।
- 0 साक्ष्य मांगने पर विवाद के मामले में अध्यक्ष के पास अंतिम निर्णय होता है।

• पूर्ववर्ती जेपीसी

अब तक छह जेपीसी गठित की जा चुकी हैं।

ये-

- दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच हेतु ।
- शीतल पेय, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों और सुरक्षा मानकों की जांच हेतु
- स्टॉक मार्केट घोटाले और उससे संबंधित मामलों पर जेपीसी।
- जेपीसी सिक्योरिटीज और बैंकिंग लेनदेन में अनियमितताओं की जांच करेगी।
- जेपीसी बोफोर्स अनुबंध की जांच हेतु ।
- लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और कानूनी स्थिति की जांच करने के लिए संयुक्त समिति।

डिजिटल इंडिया 'पुश:-

प्रसंग

वित्त मंत्री ने देश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला।

मुख्य विशेषताएं:

- बच्चों और किशोरों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने से लेकर नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी तैयार करने तक, वित्त मंत्री ने कई योजनाओं और प्रस्तावों की घोषणा की है।

बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय:

- विभिन्न भाषाओं, विधाओं और विभिन्न स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी।
- सरकार गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करके पढ़ने की संस्कृति विकसित करेगी, जो सभी को आयु-उपयुक्त पठन सामग्री प्रदान करेगी।
- नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट की भी स्थापना की जाएगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र:

- शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- ये केंद्र, उद्योग में अग्रणी खिलाड़ियों के साथ साझेदारी में, अंतःविषय अनुसंधान करेंगे और कृषि, स्वास्थ्य और सतत शहरों के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुप्रयोगों और स्केलेबल समस्या समाधान विकसित करेंगे।

राष्ट्रीय डेटा शासन नीति:

- सरकार स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान के लिए अज्ञात डेटा तक पहुंच को सक्षम करने के लिए एक डेटा गवर्नेंस नीति तैयार करेगी।

5जी सेवाएं:

- अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला का एहसास करने के लिए 5जी सेवाओं का उपयोग करके अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

ई-न्यायालय:

- न्याय के कुशल प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण को शुरू करेगी।

भारत साझा अभिलेखों का भंडार (भारत श्री):

- पहले चरण में एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और एक लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।

स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म:

मांग आधारित औपचारिक कौशल को सक्षम करने, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ने और उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए एक एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करके स्किलिंग के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का और विस्तार किया जाएगा।

संक्षिप्त सुर्खियां

ईकोर्ट परियोजना

प्रसंग

हाल ही में, वित्त मंत्री ने कहा कि न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़

रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी।

ईकोर्ट परियोजना:

- इस अखिल भारतीय परियोजना की निगरानी और वित्त पोषण कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- यह केवल कागज आधारित प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ नहीं करता है, यह एक डिजिटल वातावरण के लिए प्रक्रियाओं को बदल देता है।
- चरण III किसी भी वादी या वकील को किसी भी विशिष्ट अदालत के परिसर में कई चरणों में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बिना, कहीं से भी, किसी भी समय मामला दर्ज करने में सक्षम करेगा।
- ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली की कल्पना की गई है जो भारत में न्याय मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सुलभ, कुशल और न्यायसंगत हो।
- 4,400 पूरी तरह कार्यात्मक ई-सेवा केंद्र सभी वकीलों और वादियों को सहायता प्रदान करेंगे।
- अदालती सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से न्यायिक कार्यवाही में और पारदर्शिता आएगी।
- इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की समान पहल।
  - SUPACE (न्यायालय दक्षता में सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट पोर्टल)।
  - SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर)।

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय

प्रसंग

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने नेशनल बुक ट्रस्ट को मजबूत करने के साथ-साथ बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का प्रस्ताव रखा।

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय

- एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय डिजिटल वस्तुओं का भंडार होगा, जैसे किताबें, लेख, चित्र, वीडियो और मल्टीमीडिया के अन्य रूप, जो इंटरनेट पर उपयोग और उपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और डिवाइस एग्नॉस्टिक एक्सेसिबिलिटी की सुविधा के लिए स्थापित किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य "पढ़ने की संस्कृति" का निर्माण करना और महामारी के समय हुई अधिगम हानि की भरपाई करना था।

	• राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईसीटी) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और सलाह दी जाएगी। **• सूत्रधार** ▪ राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुँचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ▪ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग किया जाएगा। ▪ वित्तीय साक्षरता को विकसित करने के लिए पुस्तकालयों के लिए आयु-उपयुक्त पठन सामग्री प्रदान करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
अतिरिक्त निगरानी तंत्र	**प्रसंग** NSE ने अडानी समूह की फर्मों को 'अतिरिक्त निगरानी तंत्र' के तहत रखा है। **एक अतिरिक्त निगरानी तंत्र (एएसएम) क्या है?** • एएसएम को 26 मार्च, 2018 को बाजार की अस्थिरता और शेयर की कीमत में असामान्य बदलाव से निवेशकों को बचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। • नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अतिरिक्त निगरानी तंत्र (ASM) के तहत अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को रखा। • इसका अर्थ है कि उनके शेयरों में ट्रेडिंग के लिए 100% मार्जिन की आवश्यकता होगी, जिसका उद्देश्य अटकलों और शॉर्ट सेलिंग को रोकना है। • एएसएम में रखने के लिए प्रतिभूतियों की शॉर्टलिस्टिंग उन मानदंडों पर आधारित है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से तय किए गए हैं। • एक एएसएम शॉर्टलिस्टिंग निवेशकों को संकेत देता है कि शेयरों में असामान्य गतिविधि देखी गई है। ▪ "एएसएम के तहत प्रतिभूतियों की छंटाई विशुद्ध रूप से बाजार निगरानी के कारण है और इसे संबंधित कंपनी / संस्था के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई के रूप में नहीं माना जाना चाहिए,"
महिला सम्मान बचत	**सन्दर्भ** सरकार विशेष रूप से महिलाओं के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के

प्रमाण पत्र

लिए एक छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र शुरू करेगी।

मुख्य विशेषताएं:

- छोटी बचत योजना का कार्यकाल दो वर्ष (मार्च 2025 तक) है और यह 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर की पेशकश करेगी।
- यह महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा।
- सरकार द्वारा अभी तक निचली सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
- योजना में कोई विशिष्ट कर राहत नहीं है, लेकिन आंशिक निकासी की अनुमति है।
- महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र सरकार द्वारा शुरू की गई नवीनतम लघु बचत योजना है।
- लघु बचत योजनाएं उन व्यक्तियों के लिए निवेश साधन हैं जिन्हें धारा 80सी के तहत प्रमुख कर लाभ प्राप्त हैं।
- इस श्रेणी के अंतर्गत अन्य लोकप्रिय योजनाएँ हैं।
    - सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)।
    - वरिष्ठ नागरिक लघु बचत योजना (एससीएसएस)।
    - राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)।
    - सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)।

एपीडा

प्रसंग

हाल ही में एपीडा ने बाजरा के लिए संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात के अवसरों का दोहन करने के लिए वर्चुअल-क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया।

मुख्य विशेषताएं:

- एपीडा ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए ई-कैटलॉग भी लॉन्च किया जिसमें भारतीय बाजरा और निर्यात के लिए उपलब्ध उनके मूल्य वर्धित उत्पादों की रेंज की विभिन्न जानकारी शामिल है।
- वैश्विक उत्पादन में लगभग 41 प्रतिशत की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में बाजरा के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
- भारत के शीर्ष पांच बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई

थी।

- एपीडा को फलों, सब्जियों और उनके उत्पादों, मांस और डेयरी उत्पादों आदि जैसे उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

लाल सिर वाला गिद्ध (रेड हेडेड वल्चर)

प्रसंग

हाल ही में, 2017 के बाद पहली बार, बर्डर्स ने दिल्ली के भट्टी खदान क्षेत्र में एक लाल सिर वाले गिद्ध (Sarcogyps Calvus) को देखा।

मुख्य विशेषताएं:

- ध्यातव्य है कि इसी सप्ताह गुरुग्राम के चंदू बुधेरा में एक "दुर्लभतम" काला गिद्ध (कोराजिप्स एट्रेटस) देखा गया था।
- असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य (एबीडब्ल्यूएस) में हर साल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) द्वारा किए जाने वाले चल रहे शीतकालीन रैप्टर सर्वेक्षण के दौरान इस पक्षी को देखा गया था।
- मध्य, उत्तरी और पूर्वी भारत के 13 राज्यों में लंबे समय तक गिद्धों की आबादी के सर्वेक्षण से पता चलता है कि डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगने के बाद से पक्षी की आबादी में कमी स्थिर हो गई है।
- डिक्लोफेनाक इन पक्षियों के लिए जहरीली दवा है जिसे 2006 में पशु चिकित्सा उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

लाल सिर वाला गिद्ध (रेड हेडेड वल्चर) :

- लाल सिर वाले गिद्ध को एशियाई राजा गिद्ध, भारतीय काले गिद्ध या पांडिचेरी गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक पूर्व काल से पाया जाने वाले का गिद्ध है जो , दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में छोटी अलग आबादी के साथ ,मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है।
- इसकी संख्या 10,000 से कम है।

•संरक्षण की स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट- गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972- अनुसूची 1।

एंजेल टैक्स

सन्दर्भ

नवीन फर्में, जो विदेशी निवेशकों को अपने शेयरों की पेशकश करती हैं, उन्हें 'एंजेल टैक्स' का भुगतान करना पड़ सकता है, जिसे पहले वित्त विधेयक, 2023 में किए गए एक प्रस्ताव के अनुसार केवल निवासी भारतीय निवेशकों द्वारा किए

गए निवेश के लिए भुगतान किया जाना था।

प्रस्तावित परिवर्तन:

- वित्त विधेयक, 2023 में आयकर अधिनियम की धारा 56(2) VII B में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
- प्रावधान बताता है कि जब एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी, जैसे स्टार्ट-अप, शेयर जारी करने के लिए एक निवासी से इक्विटी निवेश प्राप्त करती है जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, तो इसे स्टार्ट-अप के लिए आय के रूप में गिना जाएगा।
- इसके अलावा यह प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के तहत आयकर के अधीन होगा।
- नवीनतम संशोधन के साथ, जब कोई स्टार्ट-अप किसी विदेशी निवेशक से धन जुटाता है, वह भी अब आय के रूप में गिना जाएगा और कर योग्य होगा।

एंजेल टैक्स

- आयकर अधिनियम की धारा 56(2) VII B को 'एंजेल टैक्स' के रूप में जाना जाता है।
- इसे पहली बार 2012 में पेश किया गया था।
- इसका उद्देश्य फर्म के शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर एक करीबी कंपनी के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से बेहिसाब धन के उत्पादन और उपयोग को रोकना था।

पेरिस क्लब

प्रसंग

पेरिस क्लब के द्वारा श्रीलंका ऋण पर आईएमएफ को वित्तीय आश्वासन प्रदान करने की संभावना है।

पेरिस क्लब क्या है?

- पेरिस क्लब ज्यादातर पश्चिमी लेनदार देशों का एक समूह है जो 1956 की बैठक से बढ़ा है जिसमें अर्जेंटीना पेरिस में अपने सार्वजनिक लेनदारों से मिलने के लिए सहमत हुआ था।
- उनका उद्देश्य उन देशों के लिए स्थायी ऋण-राहत समाधान खोजना है जो अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।
- यह खुद को एक ऐसे मंच के रूप में वर्णित करता है जहां आधिकारिक लेनदार देनदार देशों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान कठिनाइयों को हल करने के लिए मिलते हैं।
- सभी 22 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) नामक समूह के

	सदस्य हैं। • सदस्य - ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इज़राइल, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। **पेरिस क्लब, ऋण समझौतों में कैसे शामिल रहा है?** • यह आम सहमति और एकजुटता के सिद्धांतों पर काम करता है। देनदार देश के साथ किया गया कोई भी समझौता पेरिस क्लब के सभी लेनदारों पर समान रूप से लागू होगा। • एक ऋणी देश जो अपने पेरिस क्लब के लेनदारों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है, उसे अपने गैर-पेरिस क्लब वाणिज्यिक और द्विपक्षीय लेनदारों से अपने ऋण के उपचार की ऐसी शर्तों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो देनदार के लिए पेरिस क्लब के साथ सहमत होने की तुलना में कम अनुकूल हों। • पेरिस समूह के देशों ने पिछली शताब्दी में द्विपक्षीय उधार पर प्रभुत्व किया था, लेकिन पिछले दो दशकों में चीन के दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरने के साथ उनका महत्व कम हो गया है। • उदाहरण के लिए, श्रीलंका के मामले में चीन, जापान और भारत सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार हैं।
ऑपरेशन सद्भावना	**प्रसंग** 'ऑपरेशन सद्भावना' के भाग के रूप में, भारतीय सेना लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के दूरदराज के इलाकों में कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है। **मुख्य विशेषताएं:** शिक्षा के स्तर में सुधार करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, भारतीय सेना वर्तमान में 'ऑपरेशन' के तहत सात (07) आर्मी गुडविल स्कूल (AGS) चला रही है। **ऑपरेशन सद्भावना'** कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स' भारत में विभिन्न व्यावसायिक कॉलेजों और संस्थानों में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से कारगिल की छात्राओं के लिए एक पहल शुरू की गई है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com